रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2000/चैत्र 28, 1922
No. 270] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2000/CHAITRA 28, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2000

का.आ. 389 (अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक महत्व के एक निश्चित मामले अर्थात् 24 फरवरी, 2000 को संसद मार्ग, नई दिल्ली में हुए वकीलों के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग को, अर्थात् लाठी चार्ज और अश्रुगैस के प्रयोग के लिए प्रेरित करने वाली परिस्थितियों की जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है;

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.सी. कोचर, राजस्थान उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिसके अध्यक्ष थे, ऐसा एक जांच आयोग नियुक्त करने के तात्पर्य से जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 के अधीन भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना सं. का.आ. 290 (अ) तारीख 28 मार्च, 2000 जारी की गई थी;

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.सी. कोचर, ने ऐसी नियुक्ति के लिए विहित मानक निबंधनों और शर्तों पर उक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में उक्त नियुक्ति स्वीकार करने की अपनी अनिच्छा इंगित की है जिसके कारण जांच आयोग की नियुक्ति उस रूप में अपरिपक्व तथा निष्प्रभावी रही है;

केन्द्रीय सरकार की राय है कि 28 मार्च, 2000 की उक्त अधिसूचना में कथित लोक महत्व के निश्चित मामले की जांच करने के प्रयोजनार्थ एक जांच आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है और उसके विचारणीय विषय वे होंगे जो उक्त अधिसूचना में अन्तर्विहित थे;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. का.आ. 290(अ) तारीख 28 मार्च, 2000 को अधिक्रान्त करते हुए, एक जांच आयोग नियुक्त करती है, जिसकी अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.टी. नानावती, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

आयोग के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :

(i) उन तथ्यों, परिस्थितियों और दशाओं की जांच करना जिसने 24 फरवरी, 2000 को संसद मार्ग, नई दिल्ली में हुए वकीलों के प्रदर्शन पर पुलिस बल प्रयोग को, अर्थात् लाठी चार्ज और अश्रुगैस इत्यादि के प्रयोग को प्रेरित किया;

(ii) इस बात की परीक्षा करना और रिपोर्ट करना कि क्या पुलिस द्वारा प्रयोग किया गया बल अत्याधिक था और अननुपात में था और यदि ऐसा है तो दोषी पुलिस कर्मियों पर उत्तरदायित्व नियत करना, और

(iii) ऐसे उपायों की सिफारिश करना जिन्हें भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए किए जाने की आवश्यकता है।

आयोग अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को यथासंभव शीघ्र किन्तु अपनी पहली बैठक की तारीख से तीन मास के अपश्चात् प्रस्तुत करेगा।

आयोग, यदि ठीक समझे, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय पर उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व केन्द्रीय सरकार को अन्तरिम रिपोर्ट दे सकेगा।

आयोग को जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह आयोग की प्रक्रिया से संबंधित उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपनी स्वयं की प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[फा. सं. 14036/50/2000-यू.टी.पी.]

कमल पाण्डे, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2000

S.O. 389(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the circumstances leading to the use of force by the police i.e. lathi charge and use of tear-gas on the lawyers' demonstration held at Parliament Street, New Delhi on the 24th February, 2000;

And whereas a notification of the Government of India was issued vide number S.O. 290 (E) dated the 28th March, 2000 under section 3 of the Commissions of Inquiry Act. 1952 (60 of 1952) purporting to appoint a commission of inquiry to be presided over by Hon'ble Mr. Justice N.C. Kochhar, a retired Judge of the Rajasthan High Court.

And Whereas Hon'ble Mr. Justice N.C. Kochhar has indicated his disinclination to accept appointment as the Chairman of the said Commission of Inquiry on the standard terms and conditions prescribed for such appoinment on account of which the appointment of a Commission of Inquiry has remained inchoate and ineffective as such;

And Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into the definite matter of public importance stated in the said Notification dated the 28th March, 2000 and on the terms of reference contained in the said notification;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) and in supersession of the Notification S.O. 290 (E) dated the 28th March, 2000, the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry to be presided by Hon'ble Mr. Justice G.T. Nanavati, a retired Judge of the Supreme Court of India.

The terms of reference of the Commission shall be as follows:

(i) to inquire into the facts, circumstances and events leading to the use of force by the police that is lathi charge and use of tear-gas etc. on the lawyers' demonstration held at Parliament Street, New Delhi on 24th February, 2000;

(ii) to examine and report whether the force used by the police was excessive and disproportionate and, if so, fix the responsibility on the erring police officials; and

(iii) to recommend measures that need to be taken to avoid occurrence of such incidents in future.

The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as may be but not later than three months from the date of its first sitting.

The Commission may, if it deems fit, make interim reports to the Central Government before the expiry of the said period on any of the matters specified in this notification.

The Commission shall have all the powers under the Commissions of Inquiry Act, 1952 and shall follow its own procedure subject to the provisions of the said Act and the rules made thereunder relating to the procedure of the Commission.

The headquarters of the Commission shall be at New Delhi.

[F. No. 14036/50/2000-UTP]

KAMAL PANDE, Home Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2000